कोविड-19 के दौर में रोज़गार गारंटी

वर्ष 2020 के लॉकडाउन के बाद मनरेगा की भूमिका

बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष

अक्टूबर 2022

c 2022 अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

इस प्रकाशन को शिक्षण या किसी अन्य गैर-लाभकारी उद्देश्य के लिए किसी भी तरीके से पुनर्प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकाशन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकार क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के आधार पर विकसित की गई सामग्री भी इसी लाइसेंस के अंतर्गत होगी। इस प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकार क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस: एट्रीब्यूशन (श्रेय देना अनिवार्य), नॉन-कमर्शियल (गैर-व्यावसायिक), शेयर अलाइक (इस प्रकाशन पर आधारित हर सामग्री इन्हीं शर्तों के तहत होगी) के तहत संरक्षित हैं। किसी भी अन्य स्थिति में प्रति बनाने के लिए या किसी अन्य प्रकाशन में पुनरुपयोग के लिए या अनुवाद या परिवर्तित रूप में पुनर्प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक से पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य है।

प्रति के लिए संपर्क करें:

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

सर्वे संख्या 66, बुरुगुंटे गाँव, बिक्कनहल्ली मुख्य रस्ता,

सरजापुरा, बेंगलुरु-562125

कर्नाटक, भारत

डाउनलोड करें: https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/

सूचना: इस प्रकाशन में प्रस्तुत किये गए विश्लेषण और विचार इसके लेखकों के हैं और यह विश्वविद्यालय के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

सुझाया गया उद्धरण:
अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (2022). कोविड-19 के दौर में रोज़गार गारंटी: वर्ष 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के बाद मनरेगा की भूमिका, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्याल और नरेगा कंसोर्शियम

टिकाऊ रोज़गार पर अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय का कार्य

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2010 में न्यायपरक, समतामूलक, संवेदनशील और चिरस्थायी समाज के निर्माण में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रम, शिक्षण व अनुसंधान गतिविधियाँ और कार्य इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। भारत में न्यायपरक और टिकाऊ रोज़गार के निर्माण के महत्वपूर्ण विषय में योगदान देने के उद्देश्य से, वश्वविद्यालय ने सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (सीएसई) की स्थापना की थी, जो कार्य, श्रम और रोज़गार के विषयों पर खुद शोधकार्य करने के अलावा इस तरह के शोध को समर्थन भी देता है। इसके ज़रिए विश्वविद्यालय की कोशिश रहती है कि देश में कार्य और श्रमिकों की स्थिति की तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक तस्वीर पेश की जाए और टिकाऊ नौकरियाँ पैदा करने वाली नीतियाँ सुझाई जाएं और उनका मूल्यांकन किया जाए। सीएसई की वेबसाइट विश्वविद्यालय की इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शोध पत्रों और नीति ब्यौरों के अलावा, इसपर भारतीय श्रम बाजार से जुड़ी सरकारी रिपोर्ट तथा डेटा और आँकड़े भी उपलब्ध कराए गए हैं।

https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/ | @working_india | cse@apu.edu.in

कोलेबोरेटिव रिसर्च एंड डिसेमिनेशन (सीओआरडी)

कोलेबोरेटिव रिसर्च एंड डिसेमिनेशन (सीओआरडी) दिल्ली में स्थित एक स्वतंत्र शोध समूह है जो क्षेत्र अध्ययन और उपलब्ध आँकड़ों तथा दस्तावेज़ों के विश्लेषण के माध्यम से, हाशिए के समुदायों की समस्याओं को रेखांकित करने का कार्य करता है। सीओआरडी पिछले तीस सालों से अपने शोध से निकलने वाले निष्कर्षों को आम जनता तक पहुंचाने के ज़रिए, नीति और सार्वजनिक मत को प्रभावित करने का कार्य करता रहा है।

नेशनल कंसोर्शियम ऑफ़ सिविल सोसाइटी ओर्गनइजेशन्स फॉर मनरेगा

नेशनल कंसोर्शियम ऑफ़ सिविल सोसाइटी ओर्गनइजेशन्स फॉर मनरेगा, मनरेगा कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से साथ मिलकर काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों का एक संघटित समूह है। इस

कंसोर्शियम को शुरू करने के पीछे नरेगा कार्य की योजना, कार्यान्वयन और सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों की सक्रिय भागेदारी के ज़रिए नरेगा को कारगर रूप से लागू करने का विचार था।

इन संगठनों ने भारत के सबसे पिछड़े और उपेक्षित जिलों की ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों सहित सभी पंचायती राज संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित किए हैं। देश की असीम विविधता को देखते हुए, इन संगठनों ने इन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विविध प्रकार की रणनीतियों को अपनाया है। उन्होंने नरेगा कार्य की योजना, कार्यान्वयन और सोशल ऑडिट की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को समर्थन दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं के साथ मजबूत हो रही इन भागीदारियों को आधार बनाकर, इन संगठनों ने प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में, नई पहलों को कार्यक्रम की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने में, सरकारी ढांचे की क्षमता के विकास में और नीति के स्तर पर बदलाव लाने में केंद्र व राज्य सरकारों को सहायता दी है। कंसोर्शियम द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्टों में दी गई कई सिफारिशों को मनरेगा नीति में शामिल किया गया है, विशेष रूप से 2013 में जारी किए गए मनरेगा 2.0 दिशानिर्देशों में।

रिपोर्ट टीम

अनुसंधान और अध्ययन की रूपरेखा: अमित बासोले, राघव चक्रवर्ती, अनुराधा डे, अश्विनी कुलकर्णी, राजेंद्रन नारायणन, मीरा सेमसन, बी. सतीशा, पी. एस. विजयशंकर

अनुसंधान में सहायता: अक्षित अरोड़ा, राघव चक्रवर्ती, पबित्रा चौधरी, बी. सतीशा

सर्वेक्षण समन्वयक: अज़हर हक और अशोक कुमार (बिहार), भुवनेश्वरी (कर्नाटक), प्रवीण मोटे (महाराष्ट्र), इमरान राजपूत (मध्य प्रदेश)

सर्वेक्षक प्रशिक्षण व सहयोग: राघव चक्रवर्ती, पबित्रा चौधरी, शरत रथ, बी. सतीशा

सहयोगी गैर-सरकारी संगठन:

बिहार: छातापुर- मुकुंद कुमार, ग्राम्यशील; फुलपरास- शैलेंद्र कुमार कर्ण, घोघरडीहा प्रखंड स्वराज्य विकास संघ

कर्नाटक: देवदुर्गा - मुद्रंगप्पा, समूहा; बीदर - मोहम्मद सिराज, आउटरीच

महाराष्ट्र: वर्धा - विजय पचारे, धरामित्र; सुर्गणा - अपूर्वा मालपुरे, प्रगति अभियान

मध्य प्रदेश: घतिगाओं- हनीम खान, संभव समाज सेवा संस्था; खालवा- रमेश गोहारे, स्पंदन समाज सेवा समिति

एमआईएस डेटा सहयोग: राजेश गोलानी (लिबटेक इंडिया)

डिज़ाइन और लेआउट: बिस्वजीत मणिमारन

फोटो सौजन्य: कम्युनिटी मीडिया, समाज प्रगति सहयोग, बागली, मध्य प्रदेश

आउटरीच: सचिन मुले और के2 कम्युनिकेशन्स

प्रशासन: वर्घीस के अंटोनी, मीरा सेमसन, राघवेंद्र वंजारी

हिंदी अनुवाद: सिद्धार्थ जोशी

इस अध्ययन को नरेगा कंसोर्शियम और अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय अनुसन्धान केंद्र से समर्थन प्राप्त हुआ है। हम आनंद श्रीवास्तव, रोसा अब्राहम और ज़ों द्रेज़ को अध्ययन की रूपरेखा तय करने में हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।

कार्यकारी सारांश

अध्ययन के लिए चुना गया सैंपल

- इस अध्ययन के ज़रिए भारत के चार राज्यों - बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश - के आठ ब्लॉक में कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।
- यह मूल्यांकन इन कसौटियों के आधार पर किया गया है: कार्यक्रम के बारे में जॉब कार्ड-धारक परिवारों की राय; अनमेट डिमांड (अधूरी मांग) का स्तर; मज़दूरी का भुगतान; महामारी के दौरान कार्यक्रम के संचालन में हुए बदलाव और सुरक्षा कवच के रूप में मनरेगा की प्रभावशीलता।
- अध्ययन में शामिल किए गए ब्लॉक को उन ब्लॉक की सूची में से चुना गया जिन क्षेत्रों में नरेगा कंसोर्शियम से जुड़े नागरिक समाज संगठन काम करते हैं। इस सूची के हर ब्लॉक को मनरेगा की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से लिए गए आँकड़ों के आधार पर कार्यक्रम की कारगरता के अनुसार क्रमबद्ध किया गया। हर राज्य में इस क्रमबद्ध सूची के सबसे ऊँचे क्रम और सबसे निचले क्रम वाले ब्लॉक को चुना गया जिसे अध्ययन में सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे कम प्रभावी कार्यान्वयन वाला ब्लॉक कहा गया है।
- चुने गए ब्लॉक हैं - बिहार में छातापुर (सुपौल) और फुलपरास (मधुबनी); कर्नाटक में बीदर (बीदर) और देवदुर्गा (रायचूर); मध्य प्रदेश में खालवा (खण्डवा) और घतिगाओं (ग्वालियर) और महाराष्ट्र में वर्धा (वर्धा) और सुर्गणा (नासिक)।
- चुने गए ब्लॉक में दो-स्तरीय लॉटरी द्वारा (रैंडम) सैंपल चुना गया। पहले चरण में, जनगणना 2011 की सूची के आधार पर हर ब्लॉक में से लॉटरी द्वारा (रैंडम) पांच ग्राम पंचायतों का चुनाव किया गया। दूसरे चरण में, हर ग्राम पंचायत में से मनरेगा एमआईएस से ली गई जॉब कार्ड-धारकों की सूची में से लॉटरी द्वारा (रैंडम) 50 परिवारों का चुनाव किया गया।
- सर्वेक्षण नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान किया गया। दो संदर्भ अवधियों का इस्तेमाल किया गया। पहली थी “कोविड पूर्व अवधि” यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का वित्त वर्ष, और दूसरी “कोविड अवधि” यानी अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का वित्त वर्ष।

कोविड-19 का प्रभाव

- अध्ययन में जिन परिवारों के साथ साक्षात्कार किया गया, वे आम आबादी के मुकाबले आर्थिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़्यादातर पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनमें भूमिहीनता का स्तर काफी ज़्यादा है, पारिवारिक आमदनी बहुत ही कम है और उनमें अनियमित मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
- हमें सर्वेक्षण के सभी ब्लॉक में रोज़गार और आमदनी पर कोविड महामारी के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। सर्वेक्षण के दौरान बड़े अनुपात में परिवारों ने हमें बताया कि कोविड वर्ष में उन्हें आमदनी का नुकसान झेलना पड़ा, विभिन्न ब्लॉक में आमदनी में 30 से 50 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- अध्ययन में शामिल किए गए 3 ब्लॉक - मध्य प्रदेश में खालवा और बिहार के दो ब्लॉक - में प्रवासी मज़दूरों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे परिवार की कुल आमदनी का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। खालवा में, कोविड से पहले, भेजे हुए पैसे पारिवारिक आमदनी का 43% हिस्सा थे, यानी औसत 37,800 रुपए प्रति वर्ष। छातापुर में, भेजे हुए पैसे पारिवारिक आमदनी का 50% हिस्सा थे, यानी 61,000 रुपए प्रति वर्ष, और फुलपरास में, भेजे हुए पैसे पारिवारिक आमदनी का 67% हिस्सा थे, यानी 48,00 रुपए प्रति वर्ष।
- बाकी के ब्लॉक में, लौट कर आने वाले प्रवासी मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जिन परिवारों में लौट कर आने वाले प्रवासी मज़दूर मौजूद थे, उन परिवारों को इन सदस्यों द्वारा प्रति वर्ष 55,600 रूपए की औसत राशि भेजी जाती थी।

मनरेगा के बारे में परिवारों की राय

- कर्नाटक में 60% परिवारों की राय थी कि मनरेगा की वजह से उनके गाँव में विकास हुआ है। यह अनुपात बाकी राज्यों में इससे कम होने के बावजूद महत्वहीन नहीं था - मध्य प्रदेश में

40-60%, महाराष्ट्र में 20-40%, बिहार में 20-30%। यही नहीं, जिन परिवारों ने कोविड वर्ष में मनरेगा के तहत काम नहीं किया था, उन्होंने भी कार्यक्रम के इस पहलू को उपयोगी बताया।

- सर्वेक्षण में शामिल किए गए हर ब्लॉक में, जब कार्यक्रम के सकारात्मक पहलुओं के बारे में पूछा गया तो सबसे ज्यादा उल्लेख प्रवास करने की मजबूरी न होना बताया गया।
- कार्यक्रम की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में, और बीदर और घतिगाओं में तो लगभग 100% परिवारों का सुझाव था कि मनरेगा के तहत हर परिवार के बजाय, हर व्यक्ति को 100 दिनों का रोज़गार दिया जाना चाहिए।

अनमेट डिमांड (अधूरी मांग)

- कोविड वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत सीमित रोज़गार पाने वाले परिवारों का अनुपात काफी ज़्यादा था। सभी ब्लॉक में, मनरेगा के तहत रोज़गार पाने की इच्छा रखने वाले जॉब कार्ड-धारक परिवारों में से 39 प्रतिशत को एक भी दिन का रोज़गार हासिल नहीं हो पाया।
- यह परिवार मनरेगा के तहत उस वर्ष औसत 77 दिनों का रोज़गार चाहते थे। यह आँकड़ा वर्धा (महारष्ट्र) में सबसे ज़्यादा था, जहाँ मनरेगा के तहत रोज़गार की मांग 92 दिनों की थी।
- कोविड वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत रोज़गार पाने वाले परिवारों को भी उतने दिनों का रोज़गार हासिल नहीं हुआ जिताना वे चाहते थे - बिहार के दोनों ब्लॉक और कर्नाटक (बीदर) और मध्य प्रदेश (खालवा) के कम प्रभावी ब्लॉक में यह संख्या 75 दिन या उससे ज़्यादा थी; महाराष्ट्र के वर्धा (सबसे प्रभावी ब्लॉक) में यह अंतर 70 दिन था और बाकी के ब्लॉक में 50 से 60 दिन था।
- कोविड वर्ष में कम से कम एक दिन काम करने वाले परिवारों की अनमेट डिमांड (अधूरी मांग) का भारित औसत 64 दिन था। दूसरे शब्दों में, कोविड वर्ष में काम करने वाले परिवार औसतन और 64 दिनों का रोज़गार चाहते थे।
- एमआईएस के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी ब्लॉक में कोविड वर्ष में मज़दूरी पर खर्च की गई कुल राशि 152.68 करोड़ रूपए थी। हमारे अनुमान के अनुसार, इन सभी ब्लॉक में रोज़गार की वास्तविक मांग को पूरा करने के लिए आवंटित श्रम बजट 474.27 करोड़ रूपए, यानी मौजूदा बजट का तीन गुना होना चाहिए।

- सभी ब्लॉक में, जरूरत के अनुसार रोज़गार न मिल पाने के जिस कारण का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया वह कार्यों/परियोजनाओं का अपर्याप्त मात्रा में मंजूर/शुरू किया जाना था। सर्वेक्षण में शामिल किए गए सभी ब्लॉक के औसतन 63% जॉब कार्ड-धारक परिवारों ने इस कारण का उल्लेख किया।
- आठ में से पांच ब्लॉक में दूसरा सबसे बड़ा कारण था 'ठेकेदार ने सूचना नहीं दी'। अधिनियम के अनुसार, मनरेगा में ठेकेदारों को शामिल करने पर प्रतिबंध है। लेकिन इस अध्ययन में बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के शामिल होने का खुलासा हुआ है, विशेष रूप से कर्नाटक के दो ब्लॉक में जहाँ आधे से लेकर दो-तिहाई परिवारों ने इस कारण का उल्लेख किया है। बिहार के कम प्रभावी कार्यान्वयन वाले ब्लॉक (फुलपरास) में करीब आधे परिवारों ने पर्याप्त रोज़गार न मिल पाने का कारण ठेकेदार द्वारा सूचित न किया जाना बताया।

मज़दूरी के भुगतान में देरी

- कोविड वर्ष में रोज़गार पाने वाले परिवारों में से औसत 36% परिवारों ने ही अपनी मज़दूरी 15 दिनों में मिलाने की पुष्टि की। यह आँकड़ा भारित औसत है और इसलिए सर्वेक्षण वाले सभी ब्लॉक की तस्वीर पेश करता है।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र के सबसे प्रभावी ब्लॉक के परिवारों का मज़दूरी के भुगतान से संबंधित अनुभव सबसे बेहतर रहा। लेकिन इन ब्लॉक में भी आधे से कुछ कम परिवारों का ही कहना था कि उन्हें 15 दिनों के अंदर उनकी मज़दूरी का भुगतान किया गया।
- मध्य प्रदेश में मज़दूरी के भुगतान की स्थिति सबसे ज़्यादा चिंताजनक थी, जहाँ सिर्फ 1% परिवारों ने ही कोविड वर्ष के दौरान भुगतान 15 दिनों के भीतर किए जाने का उल्लेख किया। बिहार के सबसे प्रभावशाली ब्लॉक में सिर्फ 15% परिवारों का कहना था कि उन्हें उनकी मज़दूरी का भुगतान 15 दिनों की अवधि के भीतर किया गया।

सुरक्षा कवच के रूप में प्रभावशीलता

- ऊपर जिस अनमेट डिमांड (अधूरी मांग) का उल्लेख किया गया है, उन सभी समस्याओं के बावजूद, सभी ब्लॉक में पाया गया कि मनरेगा से होने वाली आमदनी पारिवारिक आय (बाहर से भेजे गए पैसों के अलावा) का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसका अनुपात बीदर में सबसे कम, 6% था और फुलपरास में

सबसे अधिक, 47% था। कोविड वर्ष के दौरान इस अनुपात में वर्धा के अलावा सभी ब्लॉक में बढ़ोत्तरी देखी गई।

- हमारे अनुमान के अनुसार, जिन परिवारों को मनरेगा के तहत दोनों अवधियों (कोविड-पूर्व और कोविड के दौरान) में रोज़गार मिला, उनके लिए मनरेगा से हुई अतिरिक्त आमदनी ने विभिन्न ब्लॉक में उन्हें हुए आय के नुकसान की 20% से लेकर 80% तक की भरपाई हुई। इस पहलू में खालवा सबसे प्रभावी ब्लॉक रहा, जहाँ 80% तक की भरपाई हुई। इसकी पुष्टि एमआईएस के आँकड़ों से भी की जा सकती है, जिनके अनुसार प्रति व्यक्ति रोज़गार के दिनों में और कोविड के दौरान रोज़गार पाने वाले परिवारों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी खालवा में देखी गई।
- ऐसे परिवार, जिन्होंने कोविड-पूर्व वर्ष में मनरेगा के तहत काम नहीं किया था लेकिन जिन्हें कोविड वर्ष में रोज़गार हासिल हुआ, उनके लिए हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि मनरेगा से होने वाली आमदनी ने अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय में हुए नुकसान की 20% से 100% तक की भरपाई हो पाई।
- कम मज़दूरी और भुगतान में देरी के बावजूद, मनरेगा ने महामारी के दौरान आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर परिवारों को आमदनी के बड़े नुकसान से बचाकर, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मनरेगा परिवारों को आमदनी के नुकसान से पूरी तरह से बचाने में सफल नहीं हुआ क्योंकि या तो परिवारों की सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं हो पाई या उन्हें कार्यक्रम के लाभ से पूरी तरह से वंचित रखा गया।

निष्कर्ष और सिफारिशें

अपने अध्ययन के आधार पर हम निम्नलिखित सिफारिशें देना चाहेंगे

- रोज़गार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ज़मीनी-स्तरीय कर्मचारियों की संख्या दोगुनी करते हुए प्रशासनिक कर्मचारियों की गिनती बढ़ाई जानी चाहिए। इससे कार्यक्रम में भ्रष्टाचार कम करने में भी मदद होगी।
- अनमेट डिमांड (अधूरी मांग) को पूरा करने के लिए मंज़ूर किए गए या संभावित कार्यों/परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के बजाय सामुदायिक परियोजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- काम की मांग करने पर मज़दूरों को कंप्यूटरीकृत रसीद दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- जॉब कार्ड अकेला ऐसा दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए मज़दूरों की मनरेगा से संबंधित जानकारी खुद उनके हाथ में होती है। किए गए काम, कमाई गई मज़दूरी, आदि जैसी जानकारी को जॉब कार्ड में अपडेट किया जाना चाहिए। जॉब कार्ड पर हाथ से जानकारी दर्ज किए जाने के साथ-साथ बैंकों में पासबुक अपडेट कराने की सुविधा की तर्ज पर सभी ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड प्रिंट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- मनरेगा अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा मज़दूरी के भुगतान में होने वाली संपूर्ण देरी के लिए मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, यानी मज़दूरों के खातों में मज़दूरी के जमा होने तक की अवधि के लिए मुआवज़ा दिया जाए।
- मज़दूरों को मज़दूरी के भुगतान की रसीद दिए जाने से संबंधित, सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर संख्या, आरई-I (360078), दिनांक 31 जुलाई 2018 को लागू किया जाना चाहिए। इन रसीदों को नरेगासॉफ्ट के ज़रिए तैयार किया जाए और इन्हें एमआईएस से डाउनलोड कर पाने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। काम की जगह, पंचायत भवन, ग्राम सभा अदि जैसी किसी सार्वजनिक स्थल पर मज़दूरों को मज़दूरी के भुगतान की रसीद बाँटना ग्राम रोज़गार सेवक की ज़िम्मेदारी है।
- मज़दूरी के भुगतान की रसीद में कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए: मज़दूर का नाम, मज़दूर के जॉब कार्ड की संख्या, जिस योजना के तहत काम किया गया उसका नाम, मस्टर रॉल संख्या, मस्टर रॉल की शुरूआती और अंतिम तारीख, मस्टर रॉल के अनुसार किए गए काम के दिनों की संख्या, मजदूर के खाते में जमा की गई राशि (रूपए), जिस बैंक खाते में मज़दूरी जमा की गई है, उसकी संख्या, बैंक और शाखा का नाम, रसीद तैयार करने की तारीख, मज़दूरी दर।
- पंचायत भवनों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बैंकिंग अधिकारों और मनरेगा से जुड़े 'अपने अधिकारों को जाने' सूचना पटल प्रमुखता से दर्शाए जाने चाहिए।
- हर ग्राम पंचायत में सभी 7 रजिस्टरों में जानकारी को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके ज़रिए, मज़दूरों के अनुभवों और एमआईएस में दर्ज की गई जानकारी के बीच में होने वाले किसी भी घालमेल पर निगरानी रखी जा सकेगी।
- मनरेगा की मज़दूरी को, अनूप सतपथी समिति की सिफारिशों के अनुसार, कम से कम राज्य के न्युन्यतम वेतन या 375 रूपए प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए, और उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-खेत मज़दूर (CPI-AL) के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण (CPI-R) से जोड़ा जाना चाहिए।

- मनरेगा का एक उद्देश्य ग्राम पंचायतों को प्रमुखता देने वाले संविधान के 73वें संशोधन को मजबूत बनाना भी है, लेकिन एनई-एफएमएस के ज़रिए बजटीय राशि के वितरण की मौजूदा व्यवस्था ने ग्राम पंचायतों की स्वायतत्ता और अधिकारों को कमज़ोर बनाया है।
- ग्राम पंचायतों को वित्तीय राशि का अग्रिम भुगतान हो और कार्य/परियोजनाओं को मंजूर करने में उन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- आम लोगों का विश्वास बैंक शाखाओं में ज़्यादा होने के कारण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- मज़दूरों को मांगे गए काम की रसीद दिए जाने से लेकर ठेकेदारों द्वारा मनरेगा के शोषण की रोकथाम जैसे बुनियादी पहलुओं में सुधार लाने के लिए सोशल ऑडिट इकाइयों की क्षमता में विकास की ज़रुरत है।
- मज़दूरी के भुगतान से संबंधित सभी संस्थाओं को सोशल ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिसके तहत उल्लंघनों के लिए दंड लगाए जाने से जुड़े स्पष्ट नियम भी तय किए जाए। ग्राम रोज़गार सेवक, जूनियर इंजीनियर (अभियंता), कार्यक्रम अधिकारी जैसे ज़मीनी-स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्नलिखित संस्थानों को भी सोशल ऑडिट मापदंडों के तहत लाया जाना चाहिए: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NCPI), यूआईडीएआई (UIDAI), बैंक, बीसी/सीएसपी।